# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,बांसवाड़ा, जिला बांसवाड़ा

**पीठासीन अधिकारी :– सोनू कुमारी (आई.ए.एस)**

**प्रकरण संख्या :– 28 / 2025** दायर दिनांक 03.06.2025

**उनवान मुकदमा**

1. श्री गुलाबजी पिता श्री ताजेंग, जाति बलाई, उम्र 57 वर्ष, निवासी माकोद हाल मुकाम तलवाड़ा, तहसील बांसवाड़ा, जिला बांसवाड़ा (राज.)

**वादी**

**बनाम**

1. श्रीमान् तहसीलदार, तहसील कार्यालय–बांसवाड़ा तहसील बांसवाड़ा जिला बांसवाड़ा(राज.)
2. श्री तेजकरण पिता स्व. श्री हिरजी बलाई उम्र 44 वर्ष निवासी माकोद तहसील बांसवाडा जिला बांसवाडा (राज.)
3. श्रीमती कंकु पत्नी स्व. श्री हिरजी बलाई उम्र 71 वर्ष निवासी माकोद तहसील बांसवाडा जिला बांसवाडा (राज.)

**प्रतिवादीगण**

**वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत् घोषणा एवं राजस्व रेकार्ड में नाम दर्ज करने।**

**निर्णय**

दिनांक :– 15.12.2025

वाद का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि, स्व. श्री हिरजी एवं स्व. श्री मोतीया ने सर्वे नंबर 188 रकबा 3 बिघा भूमि में से 2 बिघा कृषि भूमि बजरिये रजिस्टर्ड दस्तावेज विक्रयपत्र क्रम संख्या 591 दिनांक 02.07.1993 के द्वारा वादी श्री गुलाबजी पिता श्री ताजेंग जाति बलाई निवासी गांव माकोद तहसील बांसवाडा जिला बांसवाडा (राज.) को विक्रय की है। विक्रयपत्र के अनुसार भूमि का कब्जा दिनांक 04.02.1992 को भूमि के खातेदारों ने वादी श्री गुलाबजी को सुपर्द कर दिया हैं। उक्त विक्रय की गई कृषि भुमि का नया बटा सर्वे नंबर 188 / 1 रकबा 2 बीघा भूमि वर्तमान में विक्रेता खातेदार स्व. श्री हिरजी एवं स्व. श्री मोतीया के उत्तराधिकारी श्री तेजकरण एवं श्रीमती कंकु के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। उक्त कृषि भूमि सर्वे नंबर 188 / 1 श्री गुलाबजी बलाई द्वारा क्रय करने से जरिये विक्रयपत्र खातेदार हो गया है, लेकिन राजस्व रेकार्ड में जरिये नामांतकरण क्रेता का नाम खातेदारी मे दर्ज नहीं हुआ है। मूल सर्वे नंबर 188 रकबा 3 बीघा वाके गांव माकोद के खातेदार स्वर्गीय श्री हिरजी पिता श्री मनजी बलाई एवं स्व. श्री मोतीया पिता श्री मनजी बलाई निवासियान गॉव माकोद तहसील बांसवाड़ा जिला बांसवाडा (राज.) थे। स्वर्गीय श्री हिरजी के उत्तराधिकारी श्री तेजकरण एवं श्रीमती कंकु है। स्वर्गीय श्री मोतीया अविवाहित होकर उसकी मृत्यु दिनांक 20.08.2019 को हो चुकी है एवं स्व. श्री मोतीया लाऔलाद फौत हो चुका है। राजस्व रेकार्ड में श्री हिरजी एवं मोतीया की मृत्यु होने पर उनके उत्तराधिकारी प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के नाम सर्वे नंबर 188 / 1 रकबा 2 बीघा भूमि किस्म काली चरनोई संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। श्री

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

हिरजी एवं मोतिया द्वारा सर्वे नम्बर 188 का रकबा 3 बिघा में भूमि में से रकबा 2 बिघा कृषि भूमि बजरिये रजिस्टर्ड दस्तावेज विक्रयपत्र क्रम संख्या 591 दिनांक 02.07.1993 के द्वारा वादी श्री गुलाबजी पिता श्री ताजेगं जाति बलाई निवासी गांव माकोद तहसील बांसवाड़ा जिला बांसवाडा (राज) को विक्रय की है। विक्रयपत्र के अनुसार भूमि का कब्जा दिनांक 04.02.1992 को भूमि के खातेदारों ने क्रेता श्री गुलाबजी को सुपर्द कर दिया हैं। वादी गुलाबजी रजिस्टर्ड दस्तावेज विक्रय पत्र से कृषि भूमि का खातेदार हो गया है, लेकिन राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में वादी का नाम दर्ज नही हुआ है। अतः वादी को सर्वे नंबर 188/1 रकबा 2 बीघा भूमि का खातेदार कृषक घोषित कराने हेतु यह वादपत्र पेश किया है।

वादी ने सर्वे नंबर 188/1 राजस्व रेकार्ड में अपने नाम जरिये नामान्तरण विक्रयपत्र के आधार पर दर्ज कराने हेतु तहसीलदार बांसवाड़ा को प्रार्थनापत्र पेश किया है। प्रार्थनापत्र प्र. सं. 2/2022 में प्रतिवादी संख्या 2 व 3 द्वारा विक्रयशुदा कृषि भूमि का नामान्तरकरण किये जाने बाबत् अनापत्ति पेश की है। तहसीलदार बांसवाड़ा द्वारा श्री तेजकरण एवं श्रीमती कंकु के बयान दर्ज किए गए है। तहसीलदार बांसवाड़ा ने दिनांक 13.05.22 को वादी के नाम नामान्तरकरण खोले जाने के आदेश दिए गए है। लेकिन उक्त आदेश को सुनाने से पूर्व पीठसीन अधिकार का स्थानान्तरण हो गया है। उक्त आदेश की पालना हेतु वादी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किये जाने पर तहसीलदार बांसवाड़ा ने आदेश दिनांक 19.03.2024 के द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है कि नामान्तरकरण निरस्त करने अथवा किसी खातेदार का नाम बाहर निकालने की शक्ति न्यायालय तहसीलदार में समाहित नहीं है। उक्त आधार पर वादी का प्रार्थना पत्र सक्षम न्यायालय में विक्रयपत्र के आधार पर घोषणा का वाद प्रस्तुत करने के निर्देश के साथ प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है जिस कारण यह वाद पत्र पेश किया है।

वादी की ओर से प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया गया है और प्रतिवादीगण के नाम सम्मन जारी किये जाने पर प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की ओर से श्री राजकुमार जैन अभिभाषक का वकालनामा पेश होकर पत्रावली जवाब हेतु नियत की गई। प्रतिवादी की ओर से वादी के वाद के कथनो को स्वीकार करते हुए जवाब पेश किया गया। वादी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 12 नियम 6 सी.पी.सी. पेश कर प्रतिवादीगण की स्वीकारोक्ति के अभिकथन के आधार पर वादग्रस्त कृषि भूमि सर्वे नम्बर 188/1 रकबा 2 बीघा भूमि वाके राजस्व गांव माकोद का खातेदार कृषक घोषित करने की डिक्री पारित करने का वादी द्वारा निवेदन किया गया।

प्रकरण में वकील वादी एवं वकील प्रतिवादी संख्या 2 व 3 तथा तहसीलदार बांसवाडा को सुना गया। प्रकरण में प्रतिवादीगण ने स्वीकारोक्ति का जवाबदावा पेश किया है। अतः प्रकरण में आदेश 14 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत तनकीयात कायम करने की आवश्यकता नही है। वाद पत्र की विषयवस्तु को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार किया गया है। अतः पक्षकारो की साक्ष्य लिया जाना आवश्यक नही है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा गांव माकोद की जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 सर्वे नम्बर 188/1 की पेश की है। जिसमें खातेदार प्रतिवादी संख्या 2 व 3 श्री तेजकरण व श्रीमती कंकु है। वादी ने तहसीलदार का निर्णय दिनांक 19.03.2023 का पेश किया है। निर्णय के अनुसार वादी को विक्रय पत्र के आधार पर सक्षम न्यायालय में खातेदार घोषणा का दावा प्रस्तुत करने को निर्देशित किया गया है। वादी ने तहसीलदार बांसवाडा के न्यायालय में की गई कार्यवाही एवं प्रस्तुत दस्तावेजो को पेश किया गया है। वादी के हक में निष्पादित विक्रय पत्र दिनांक 02.07.1993 पेश किया है। विक्रय पत्र के अनुसार श्री हिरजी पिता मनजी बलाई एवं मोतिया पिता मनजी बलाई द्वारा उक्त कृषि भूमि को विक्रय किया जाना प्रमाणित होता है। पत्रावली पर प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के शपथ पत्र दिनांक 14.02.2022 के पेश किये

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा (राजस्थान)

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

गये है। पत्रावली पर उपलब्ध समग्र दस्तावेजी साक्ष्य से यह साबित होता है कि, स्व. श्री हिरजी एवं स्व. मोतिया ने सर्वे नम्बर 188/1 की 2 बीघा कृषि भूमि वादी श्री गुलाबजी को विक्रय कर कब्जा सुपुर्द करने के तथ्य साबित होते है। प्रतिवादीगण खातेदारो के उत्तराधिकारी होना भी विवादित नही है एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ने अपनी सहमति भी प्रस्तुत की है।

उक्त प्रकरण में न्यायालय द्वारा तहसीलदार बांसवाडा से उक्त कृषि भूमि बाबत मौका जांच रिपोर्ट मंगवाई गई, उक्त जांच रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि, वर्तमान में वादी उक्त कृषि भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहा है ।

उक्त प्रकरण में वादी के वाद पत्र के तथ्यों को प्रतिवादीगण द्वारा लिखित रूप में स्वीकृत किया है। प्रतिवादी नम्बर 2 व 3 ने कृषि भूमि सर्वे नम्बर 188 की 2 बीघा भूमि स्व. हिरजी एवं स्व. श्री मोतिया द्वारा रजिस्टर्ड दस्तावेज के द्वारा विक्रय करने के तथ्य को स्वीकार किया है। विक्रयशुदा कृषि भूमि का कब्जा वादी को सुपुर्द करने के तथ्य को भी स्वीकार किया है।

बहस पर मनन करने एव पत्रावली के संलग्न अभिलेख का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रकरण में वादी को कृषि भूमि सर्वे नम्बर 188/1 रकबा 2 बीघा भूमि का खातेदार घोषित किया जाना उचित एवं न्यायसंगत पाया जाता है। अतः वादी का वाद पत्र बाबत् खातेदार कृषक की घोषणा स्वीकार किया जाना उचित है।

**आदेश**

वादी का वाद पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि, सर्वे नम्बर 188/1 रकबा 2 बीघा भूमि कृषि भूमि गांव माकोद, पटवार हल्का माकोद, तहसील बांसवाडा जिला बांसवाडा (राज.) का वादी श्री गुलाबजी को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तदअनुसार राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में वादी का नाम खातेदार कृषक के रूप में दर्ज करने के आदेश प्रतिवादी संख्या 1 तहसीलदार को दिये जाते है। इस आशय की डिक्री जारी की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 15.12.2025 को जारी किया गया।

Sonu

(सोनू कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी
बांसवाडा

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा (राजस्थान)

Scanned with CamScanner

# डिक्री व मुकदमे की इब्तजाई

(आ. 20 नियम 17 जाब्ता दीवानी)

**अज अदालत** : उपखण्ड अधिकारी, **मुकाम** : बांसवाडा व **इजलास** : सोनू कुमारी, (आई.ए.एस.)

**प्रकरण संख्या :– 28/2025**

**उनवान मुकदमा**

1. श्री गुलाबजी पिता श्री ताजेंग, जाति बलाई, उम्र 57 वर्ष, निवासी माकोद हाल मुकाम तलवाडा, तहसील बांसवाड़ा, जिला बांसवाड़ा (राज.)

**वादी**

**बनाम**

1. श्रीमान् तहसीलदार, तहसील कार्यालय–बांसवाड़ा तहसील बांसवाड़ा जिला बांसवाड़ा(राज.)
2. श्री तेजकरण पिता स्व. श्री हिरजी बलाई उम्र 44 वर्ष निवासी माकोद तहसील बांसवाडा जिला बांसवाड़ा (राज.)
3. श्रीमती कंकु पत्नी स्व. श्री हिरजी बलाई उम्र 71 वर्ष निवासी माकोद तहसील बांसवाडा जिला बांसवाड़ा (राज.)

**प्रतिवादीगण**

**वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**
**बाबत् घोषणा एवं राजस्व रेकार्ड में नाम दर्ज करने**

**निर्णय**

दिनांक :– 15.12.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे एवं हाजरी वकील वादी पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

आराजी कि, सर्वे नम्बर 188/1 रकबा 2 बीघा भूमि कृषि भूमि गांव माकोद, पटवार हल्का माकोद, तहसील बांसवाडा जिला बांसवाडा (राज.) का वादी श्री गुलाबजी को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। इस आशय कर डिकी जारी होकर वास्ते पालनार्थ तहसीलदार, बांसवाड़ा को भिजवाई जाती है।

नोंज **शून्य** मुबलिग **शून्य** बाबत् **शून्य** खर्चा इस मुकदमें के मय सुद व शरह **शून्य** प्रतिशत सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक **शून्य** का अदा करे।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत के आज दिनांक 15.12.2025 को जारी की गई।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा (राजस्थान)

Sonu

(सोनू कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

| मुदई | रूपया पैसा | मुद्दवायलह | रूपया पैसा |
|---|---|---|---|
| स्टाप की अरजी दावा | शून्य | स्टाम्प वकालतनामा | शून्य |
| स्टाम्प वकालतनामा | शून्य | स्टाम्प अरजी | शून्य |
| स्टाम्प वहज सबुत | शून्य | मेहनतनामा वकील | शून्य |
| मेहनतनामा वकील | शून्य | खर्चा गवाहान | शून्य |
| खर्चा गवाहान | शून्य | फीस कमिश्नर | शून्य |
| फीस कमिश्नर | शून्य | बबत इजराय हुक्मनामा | शून्य |
| बबत इजराय हुक्मनामा | शून्य | मुतफरीक | शून्य |
| मुतफरीक | शून्य | | शून्य |
| कुल | शून्य | कुल | शून्य |

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा (राजस्थान)

Sd/-

(सोनू कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner